24

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 96 / 2022 दायर दिनांक–04.07.2022

1. महेश कुमार पुत्र गुलझारीलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा शाहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. गुलझारीलाल पुत्र भोलाराम
2. कैलाशचंद्र पुत्र गुलझारीलाल
3. घनश्याम सिंह पुत्र गुलझारीलाल
4. तेजपाल पुत्र गुलझारीलाल
5. प्रकाशचंद्र पुत्र गुलझारीलाल
6. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गुलझारीलाल
7. गोपालराम पुत्र भोलाराम
8. बनवारीलाल पुत्र भोलाराम
9. मदनलाल पुत्र भोलाराम
10. मलहाराम पुत्र भोलाराम
11. महाबीर पुत्र भोलाराम समस्त जाति माली निवासी गिरधरपुरा शाहपुरा तहसील नवलगढ़।
12. प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री विप्लव पंडित
वकील अनावेदक :– श्री अशोक जांगिड़

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक 31.07.2024

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 783 रकबा 1.72 है0, खसरा नम्बर 784 रकबा 3.90 है0 स्थित है। ग्राम गिरधरपुरा में भोलाराम नाम का व्यक्ति पैदा हुआ जो आवेदक का दादा लगता था जो साधन सम्पन्न व्यक्ति था। अनावेदक संख्या 1 व 7 लगायत 11 भोलाराम की जायंदा संताने है। भोलाराम का संयुक्त परिवार था। भोलाराम ने अपनी आय से अपने पुत्रों के नाम भूमि क्रय की । विवादित भूमि भोलाराम के दृव्य से खरीदी गई संपति है। भोलाराम ने विवादित भूमि का वास्तविक स्वामी है। भोलाराम ने विवादित भूमि का 5/18 हिस्सा अनावेदक सं0 1 के नाम से जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था। अनावेदक सं0 1 आवेदक का पिता है। विवादित भूमि आवेदक के दादा की क्रयशुदा संपति है जो आवेदक के लिए पैत्रिक संपति है। मात्र विक्रय पत्र अनावेदक सं0 1 के नाम से पंजीकृत करवाया था। आवेदक के दादा ने विवादित भूमि के 5/18 हिस्से को आवेदक व अनावेदक सं0 1 लगायत 6 के मध्य अपने जीवनकाल में ही बंटवारा करके सौंप दिया था। आवेदक अनावेदक संख्या 01 के नाम दर्ज भूमि में 1/7 हिस्से पर काबिज है तथा अनावेदक संख्या 1 लगातय 6 प्रत्येक 1/7 हिस्से पर काबिज काश्त है। आवेदक के दादा की सन् 2007 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से अनावंदक सं0 1 अनावेदक सं0 2 लगायत 6 के प्रभाव में है। विवादित भूमि के 5/126 हिस्से पर आवेदक काबिज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक सं0 1 के नाम से दर्ज है। अनावेदक सं0 1 आवेदक को उसके हिस्से से वंचित करने के उद्देश्य से विवादित भूमि को विक्रय करने पर अमादा है। आवेदक का विवादित भूमि में हिस्से को लेकर विवाद है। जहां परिवार मे संपति में हिस्से को लेकर विवाद होता है वहां पर नोशनल शेयर की घोषणा की जाती है इसलिए विवादित भूमि के आवेदक व अनावेदक सं0 1 लगायत 7 प्रत्येक को 5/126–5/126 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा सही नाप जोख कर विधिवत विभाजन किया जावे।

हवाई सिंह

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

25

अनावेदक सं0 1 लगायत 6 आवेदक का ताकत के बल पर बेदखल करके कब्जा प्राप्त करना चाहते है जिसका अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के विधिक अधिकार नही है। इसलिए अनावेदकगण संख्या 1 लगातय 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आवेदक को विवादित भूमि से ताकत व लठ के बल पर बेदखल नही करे, आवेदक को उसके हिस्से की भूमि को शांति से काश्त करने देवें किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, भूमि को खुर्द बुर्द नही करें, अनावेदक सं01 विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि को विक्रय व हस्तांतरित नही करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करवाये।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 01 की ओर से वकील श्री अशोक कुमार जांगिड़ उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :– उक्त विवादग्रस्त भूमि में आवेदक का कोई ताल्लूक नही है। आवेदक का यह कथन गलत है कि आवेदक के दादा भोलाराम बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे। आवेदक के दादा भोलाराम ना तो सरकारी नौकरी में था ना ही जमीदार थे ना ही व्यापारी थे। ऐसी स्थिति में आवेदक का यह कथन कोई महत्व नही रखता है कि आवेदक के दादा बहुत संपन्न व्यक्ति थे। आवेदक का यह कथन भी गलत है कि आवेदक के दादा की संपूर्ण संतान संयुक्त परिवार के रूप में रहती हो। एवं संयुक्त परिवार की आय से भूमि कय कर अपने पुत्रों के नाम से क्रय की हो। आवेदक ने कही स्पष्ट नही किया है कि आवेदक के दादा कौनसे वर्ष में संयुक्त परिवार में रहते थे इसके संबंध मे काई दस्तावेज पेश नही किये है। वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भूमि को अनावेदक सं0 1 व 8 ने दिनांक 13.03.1991 को मुनिर खां पुत्र सुभान खां जाति कलाल मुसलमान निवासी गिरधरपुरा शाहपुरा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी बाद क्रय वादग्रस्त भूमि पर बाकायदा बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त रहे है। अनावेदक नं0 1 अपनी खरिदशुदा भूमि पर बाकायदा बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है आवेदक का यह कथन भी बिल्कुल गलत व बेबुनियाद है कि वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 5/18 पर काबिज काश्त हो। आवेदक का यह कथन भी गलत है कि आवेदक व अनावेदक सं0 1 लगातय 6 के मध्य बंटवारा कर रखा हो यह भी गलत है कि आवेदक अनावेदक संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में 1/7 हिस्सा पर काबिज है आवेदक का यह कथन भी गलत है कि आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगातय 6 का प्रत्येक का हिस्सा 1/7 व 1/7 हो और उनके अनुसार काबिज काश्त हो यह गलत है कि आवेदक के दादा मृत्यु 2007 में होने के बाद अनावेदक संख्या 1 प्रभाव में आया जबकि वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक संख्या 1 व 8 की खरीदशुदा भूमि है जो स्वयं के द्वारा सिंचित धन से क्रय की हुई है जिससे आवेदक के दादा का कोई ताल्लूक नही रहा है न ही भूमि पैत्रिक न ही आवेदक का कोई हक व हिस्सा है वादी का यह कथन भी बिल्कूल गलत व बेबुनियाद है कि दिनांक 9.06.2022 को अनावेदक संख्या 1 ने भूमि को विक्रय करने की धमकी दी हो क्योंकि जब भूमि अनावेदक संख्या 1 की खातेदारी की है तो उसे आवेदक या अन्य किसी को धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। ऐसी स्थिति में वादी आवेदक किसी प्रकार की नोशनल सेयर की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है। आवेदक अनावेदक सं0 1 की भूमि को झूठे प्रार्थना पत्र की आड़ में हड़पना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज होना चाहिए । आवेदक ने न्यायालय में झूठे कथन कर न्यायालय से गलत अंतरीम आदेश प्राप्त कर लिया है। आवेदक ने पत्रावली पर कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो आवेदक द्वारा किये गये कथन सही है।

आवेदक का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है न ही आवेदक के पक्ष में कोई सुविधा का संतुलन है न ही आवेदक को कोई अपूर्णीय क्षति हो रही है। आवेदक का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि भोलाराम को प्रार्थना पत्र में साधन संपन्न व्यक्ति बताया है जबकि यह कही अंकित नही किया है कि वह साधन संपन्न कैसे है। ना ही कोई दस्तावेज व साक्ष्य इस संबध में पेश किये है। दस्तावेजों के नाम से केवल वर्तमान जमाबंदी पेश की गई है। आवेदक ने दूसरा उज्र उठाया है कि अनावेदक नं0 1 व अनावेदक नं0 7 लगायत 11 भोलाराम की संतान है संतान होना कोई अपराध नही है। आवेदक का यह कहना की भोलाराम संयुक्त परिवार में अपने संतानों के साथ रहता है। जिसको आवेदक को सर्वप्रथम साबित करना है कि भोलाराम का संयुक्त परिवार का गठन हुआ और उक्त संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है और उसका कर्ता खानदान कौन था परिवार को चलाने की क्या व्यवस्था थी और कौन व्यक्ति क्या कार्य करता था किसकी कितनी आय थी कितने खर्चे होते थे और हर वर्ष कितने रूपये की बचत होती थी और उस

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

...म से किस व्यक्ति से कब भूमि क्रय की कौन विकित था कौन गवाह था कितन रूपये में खरीदी गई। ...तमाम तथ्यों के बाबद वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नही किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व प्रार्थनाा पत्र में आवेदक वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 783 रकबा 1.71 है0, खसरा नम्बर 784 रकबा 3.90 है0 वाके ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा की भोलाराम के द्रव्य द्वारा क्रय की गई भूमि बताया है तथा संयुक्त परिवार में रहना बताया है आवेदक यह स्पष्ट स्वीकार करता है कि उक्त भूमि का विक्रय पत्र अनावेदक नं0 1 व 7 के नाम से बने हुये है इसलिए यह विवादित विषय नही रहा कि उक्त भूमि के क्रेता प्रतिवादी नं0 1 व 7 है न कि भोलाराम या वादी का वाद इतना निरविवाद है। उक्त संपति भोलाराम ने क्रय की थी या नही यह आवेदक साबित करना है। प्रथम दृष्टया पत्रावली पर ऐसा एक भी दस्तावेज नही है जो यह प्रमाणित करता हो कि भोलाराम का संयुक्त परिवार की आय से उक्त भूमि खरीदी गई हो। आवेदक ने मात्र जमाबंदी संम्वत् 2075–78 पेश हुई है जिसमें वादी का कथन किसी भी रूप से साबित नही होता है। इसके बावजूद आवेदक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। प्रतिवादी नं0 1 केवियट प्रार्थना पत्र होने के बावजूद आवेदक दिनांक 01.07.2022 को प्रार्थना पत्र पेश करता है रीडर रिपोर्ट कर देता है और उसी रोज राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति क आदेश होते है फिर उसी रोज रीडर रिपोर्ट करता हे कि पत्रावली दर्ज रजिस्टर करते समय संज्ञान में आया कि प्रकरण में विवादग्रस्त खसर नम्बर के संबंध में पूर्व से ही केवियट प्रार्थना पत्र पेश की हुई। अतः केवियट कर्ता को सुना जाना उचित होगा। रिपोर्ट अवलोकनार्थ व उचित आदेशार्थ पेश है। फिर न्यायालय आदेश करता है कि पूर्व में पेश केवियट प्रार्थना पत्र के संदर्भ में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश को स्थगित रखते हुये केवियट प्रस्तुतकर्ता व प्रार्थी अधिवक्ता को सुना जाने हेतु पत्रावली दिनांक 04.07.2022 को पेश हो। तमाम कार्यवाही दिनांक 01.07.2022 को की जाती है अब प्रश्न यह आता है कि क्या केवियट कर्ता आवेदन को केवियट के या प्रार्थना पत्र बाबत नोटिस जारी किये गये है क्या न्यायालय में कोई नोटिस जारी करने के आदेश दिये है पत्रावली पर किये गये तमाम आदेशों में ऐसा कही पर भी नही है। दिनांक 4.07.2022 को न्यायालय के रीडर द्वारा रिपोर्ट की जाती है कि पत्रावती पेश हुई केवियट कर्ता को बारबार आवाल लगाई गई परन्तु इनकी ओर से कोई उपस्थित नही पत्रावली में रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है। अब प्रशन यह है कि केवियट कर्ता को दिनांक 04.07.2022 के लिए कोई नोटिस दिया गया है क्या केवियट कर्ता का कोई अधिवक्ता केवियट प्रार्थना पत्र में है जब पत्रावती पर ऐसा नही है तो आवाज रीडर किसको लगा रहा है क्या न्यायालय की आवाज केवियट कर्ता के ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा तक सुनाई देती है। अब पत्रावली पर न्यायालय आदेश करता है कि प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा केवियट कर्ता अथवा केवियट प्रस्तुत कर्ता के अधिवक्ता का वकालतनामा पत्रावली पर उपलब्ध नही है अतः केवियट कर्ता की अनुपस्थिति को मध्य नजर रखते हुए पत्रावली पर पूर्व में जारी आदेश दिनांक 01.07.2022 को प्रभावी रखते हुए प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये जावे। प्रश्न यह आता है कि जब केवियट कर्ता को कोई नोटिस जारी ही नही किये गये है केवियट कर्ता का कोई अधिवक्ता नही है तो किसको आवाज दी गई किसको सुना गया क्या सुना क्या समझा यह तो भगवान ही जाने। पर इस तरह से आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया स्थगन एक दुषित प्रकिया है जो स्तर रखे जाने योग्य नही है। आवेदक के प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेज से आवेदक का को प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है। क्योंकि आवेदक को यह साबित करना आवश्यक है कि भोलाराम का संयुक्त परिवार था और संयुक्त आय से विकय पत्र तस्दीक हुये है। जबकि प्रतिवादी नं0 1 ने दिनांक 13.03.1991 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के भूमि को कय किया है जो प्रतिवादी नं0 1 की स्वअर्जित संपति है आवेदक को तो यह तक पता नही है कि वादग्रस्त भूमि किस वर्ष किसने कय की थी। आवेदक का यह स्वीकृत तथ्य है कि विकय पत्र प्रतिवाद नं0 1 के नाम से नाया हुआ है अगर संयुक्त आय से कयशुदा है तो प्रतिवादी नं0 1 के नाम ही क्यों कय की गई सभी भाइयों के नाम से कय की जा सकती थी वाद पत्र या प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख नही है फिर भी आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला कैसे है इसका कोई कारण नही है। आवेदक अपने प्रार्थना पत्र व वाद पत्र में भोलाराम की वंशावली तक दर्ज नही करता है मनमर्जी से भोलाराम की संपति बताकर 5/18 हिस्सा जो प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड उसका विभाजन भी भोलाराम अपने जीवनकाल में कर गया था कब कर गया पता नही भोलाराम मरा कब पता नही बंटवारा लिखित में किया या मौखिक किया पता नही। पत्रावली पर कोई बंटवारा की प्रति मौजूद नही। जब वादी की प्लीडिग में ही कुछ नही है संलग्न कोई दस्तावेज नही है केवल बोगस कथन दर्ज कर बोगस दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। कानूनन प्रतिवादी नं0 1 खरीदशुदा भूमि का रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार है जो राजस्व रिकॉर्ड व विक्रय पत्र से प्रमाणित है। इन तमाम तथ्यों व परिस्थिति व दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक सं0 1 की स्वअर्जित

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

27

...ती है जिसका वह एक मात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्व आवेदक कोई प्रथम दृष्टया ...ला नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जावे। वकील प्रार्थी ने लिखित जबाब बहस पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ने वाके ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 783 रकबा 1.72 है0, खसरा नम्बर 784 रकबा 3.90 है0 भूमि के संबध में एक वाद बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कियाहै तथा साथ मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है तथा प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न रिलिफ डिमाण्ड की है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 को ताफैसला दावा इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 आवेदक को ताकत के बल पर विवादित भूमि से बेदखल नही करें आवेदक को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने देवें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे व भूमि का खुर्द बुर्द नही करें। विवादित भुमि का राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर विवादित भूमि को विक्रय व हस्तांतरित नही करे किसी प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही को अंजाम नही देवे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये। यहां उल्लेखनिय यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया है कि वाके ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 783 रकबा 1.72 है0, खसरा नम्बर 784 रकबा 3.90 है0 स्थित है। ग्राम गिरधरपुरा में भोलाराम नाम का व्यक्ति पैदा हुआ जो आवेदक का दादा लगता था जो साधन सम्पन्न व्यक्ति था। अनावेदक संख्या 1 व 7 लगायत 11 भोलाराम की जायंदा संताने है। भोलाराम का संयुक्त परिवार था। भोलाराम ने अपनी आय से अपने पुत्रों के नाम भूमि क्रय की । विवादित भूमि भोलाराम के दृव्य से खरीदी गई संपति है। भोलाराम ने विवादित भूमि का वास्तविक स्वामी है। भोलाराम ने विवादित भूमि का 5/18 हिस्सा अनावेदक सं0 1 के नाम से जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था। अनावेदक सं0 1 आवेदक का पिता है। विवादित भूमि आवेदक के दादा की क्रयशुदा संपति है जो आवेदक के लिए पैत्रिक संपति है। मात्र विक्रय पत्र अनावेदक सं0 1 के नाम से पंजीकृत करवाया था। आवेदक के दादा ने विवादित भूमि के 5/18 हिस्से को आवेदक व अनावेदक सं0 1 लगायत 6 के मध्य अपने जीवनकाल में ही बंटवारा करके सौंप दिया था। आवेदक अनावेदक संख्या 01 के नाम दर्ज भूमि में 1/7 हिस्से पर काबिज है तथा अनावेदक संख्या 1 लगातय 6 प्रत्येक 1/7 हिस्से पर काबिज काश्त है। आवेदक के दादा की सन् 2007 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से अनावंदक सं0 1 अनावेदक सं0 2 लगायत 6 के प्रभाव में है। विवादित भूमि के 5/126 हिस्से पर आवेदक काबिज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक सं0 1 के नाम से दर्ज है। अनावेदक सं0 1 आवेदक को उसके हिस्से से वंचित करने के उद्‌देश्य से विवादित भूमि को विक्रय करने पर अमादा है। आवेदक का विवादित भूमि में हिस्से को लेकर विवाद है। जहां परिवार मे संपति में हिस्से को लेकर विवाद होता है वहां पर नोशनल शेयर की घोषणा की जाती है इसलिए विवादित भूमि के आवेदक व अनावेदक सं0 1 लगायत 7 प्रत्येक को 5/126–5/126 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा सही नाप जोख कर विधिवत विभाजन किया जावे। अनावेदक सं0 1 लगायत 6 आवेदक का ताकत के बल पर बेदखल करके कब्जा प्राप्त करना चाहते है जिसका अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के विधिक अधिकार नही है। इसलिए अनावेदकगण संख्या 1 लगातय 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आवेदक को विवादित भूमि से ताकत व लठ के बल पर बेदखल नही करे, आवेदक को उसके हिस्से की भूमि को शांति से काश्त करने देवें किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, भूमि को खुर्द बुर्द नही करें, अनावेदक सं01 विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि को विक्रय व हस्तांतरित नही करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करवाये। जिस पर अनावेदक संख्या 01 ने लिखित बहस व जबाब में मुख्य आपत्ति यह उठाई है कि भोलाराम का संयुक्त परिवार नही था संयुक्त परिवार की आय से विक्रय पत्र तस्दीक नही हुआ है विवादित संपति अनावेदक 1 की स्वअर्जित संपति है भोलाराम के द्रव्य से नही खरीदी गई है इसलिए पैत्रिक संपाति नही है संयुक्त परिवार के कौन कौन सदस्य थे कौन कर्ता खानदान था उल्लेख नही है दिनांक 13.03.1991 को अनावेदक सं0 1 द्वारा भूमि कय करना भोलाराम की मृत्यु कब हुई का अइंकन नही होना बंटवारा नही होने आवेदक का कब्जा नही होने तथा रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व टी0आई0 जारी नही होन के उज्र के द्वारा प्रार्थनाा पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है बाकी एतराज कैवियट बाबत है जो इस स्तर पर उठाने का कोई औचित्य नही है इस तरह के आक्षेप न्यायालय की कार्यशैली पर आरोप लगाना न्यायिक प्रकिया पर अविश्वास को प्रमाणित करता है जो अनावेदक संख्या 1 की बोखलाहट का प्रमाण है। अनावेदक सं0 1 ने उज्र उठाया है कि भोलाराम का संयुक्त परिवार नही था संयुक्त परिवार के कौन कौन सदस्य थे कौन कर्ता खानदान था उल्लेख नही है जिसके संबंध में जबाब है कि भोलाराम ने संतानों को जन्म दिया है शामिल में ही रहते थे जो अनावेदक संख्या 1 के जबाब की मद संख्या 3 मे स्पष्ट है कि आवेदक के दादा भोलाराम

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

दूरी पैसा व्यक्ति थे जो मजदूरी कर अपने बच्चों को पाल पोष कर बड़ा किया है तो शामिल में रहने का तथा भोलाराम के कर्ता खानदान होने व उसकी संतानों का सहदायिक सदस्य होना उजागर करता है। विकय पत्र 1991 में तस्दीक हुआ है तथा भोलाराम सन 2007 मे फौत हुआ है जिसका अंकन प्रार्थना पत्र में किया गया है जो प्रमाणित करता है कि भोलाराम का संयुक्त परिवार था जबकि अनावेदक सं0 1 ने इससे इंकार किया है संयुक्त हिंदू परिवार थ या नही यह साक्ष्य का विषय है जो दावे में साक्ष्य अभिलिखित होकर तय होगा। प्रार्थना पत्र के निस्तारण की स्टेज पर तय नही हो सकता है। संयुक्त कुटुम्ब का गठन होता है एव पूर्वज व उसकी लाईन के नरवंशज द्वारा भोलाराम पूर्वज है तथा उसके पुत्र व पौत्र उसके वंशज है जो संयुक्त परिवार के कानूनन सहदायिक सदस्य है जिनसे ही संयुक्त परिवार व कुटुम्ब बनता है। अनावेदक सं0 1 द्वारा इंकार कर देना की संयुक्त परिवार नही था यह कानून की उपधारणा को भी नकार रहा है। सत्य तो यह है कि कोई हिंदू संयुक्त कुटुम्बहीन हो ही नही सकता है कि एक पीढी मे संयुक्त कुटुम्ब विघटित हो जाये विभाजन द्वारा या अन्यथा परन्तु दूसरी पीढी में यह स्वतः पुनः स्थापित हो जाता है और अखण्ड ब्रहमचर्य व्रत लेने के अतिरिक्त कोई भी हिंदू इससे बच नही सकता है हिंदुओं की यह इतनी स्वभाविक संस्था है कि विधि में यह उपधारण है कि प्रत्येक हिंदु कुटुम्ब एक संयुक्त कुटुम्ब है। जहां तक संयुक्त कुटुम्ब से सहदायकी एक पृथक निकाय है जिसकी सदस्यता कुछ सदस्यों तक सिमित है सहदायिकी की सरंचना होती है पिता पुत्र पौत्र और प्रपौत्र द्वारा। संयुक्त कुटुम्ब की ही भांति प्रारम्भ होने के लिए पिता पुत्र की नातेदारी आवश्यक है इसके चालू रहने के लिए एक नातेदारी का विदमान रहना आवश्यक नही है इस भांति सहदायिकी पिता मय ओर पौत्र या पर पितामाह और प्रपौत्र की भी हो सकती है। अनावेदक सं0 1 ने यह आपत्ति उठाई है कि संयुक्त परिवार की आय से विक्रय पत्र निष्पादित नही हुआ उक्त कथन अनावेदक नं0 1 ने प्रार्थी के वाद व प्रार्थनाा पत्र के विपरीत दर्ज किया है क्येंकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे उक्त बाबत कथन ही नही किया है प्रार्थी ने कथन किया है कि भोलाराम के द्रव्य से विवादित संपति खरीदी है भोलाराम कर्ता खानदान है हिंदुओं में संपति किसी भी सदस्य के नाम करवाई जा सकती है जो परिवारी की व्यवस्था पर निर्भर करता है जबकि कयशुदा संपति पर सभी का हित निहित होता है। विक्रय पत्र सन 1991 का है भोलाराम की सन 2007 मे फौत हुआ है अर्थात विवादित संपति कर्ता खानदान भोलाराम के जीवनकाल में क्रय की गई है जो विवादित संपति के संबंध में संयुक्तता के सिद्वांत को प्रतिपादित करती है। आवेदक ने अपने अधिकारों के लिए घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा की रिलिफ डिमाण्ड की है ऐसी परिस्थिति में रिकॉडेर्ड खातेदार के विरूद्व टी0 आई0 जारी हो सकती है किसी के अधिकार है या नही दावे में तय होगें यदि भूमि एलीनेट हो गई और टी0आई0 समाप्त हो गई तो दावे का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा आवेदक अपने 1/7 हिस्से पर काबिज है इसलिए आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है। यहां तक आर0 एल0डब्ल्यू0 2015 राजस्थान पेजज 450 लाड कंवर बनाम लादू एवं अन्य के मामले में विनिश्चय किया है कि प्रथम दृष्टया मामला हो या ना हो अगर संपति के अन्यथा संक्रमित होने की आशंका है तब मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति रखी जानी चाहिए। आर0एल0डब्लू0 2019 पेज 2357 शिकुमार राणासरिया बनाम छाजूराम पंसारी मे विनिश्चित किया गया है कि दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में दावे मे साक्ष्य लेकर विनिश्चय करना है प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश देने में कानूनी रूप से कोई त्रूटि नही होगी। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित संपति संयुक्त परिवार की संपति है प्रार्थी संयुक्त परिवार का सहदायिक सदस्य है जिसका संयुक्त परिवार की संपति में बाई बर्थ अधिकार है । प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर वाकई मौके पर काबिज है प्रार्थ्ज्ञनाा पत्र अस्थाई निषेधाज्ञ में दावे की तरह विवेचन नही करना है मात्र सरसरी तौर पर प्रार्थी के हितों को देखना है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का स्पष्टतया प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है। अगर अनावेदक सं0 1 ने रिकॉर्ड अपने नाम होने का फायदा उठाकर संयुक्त परिवार की संपति विक्रय कर दी तो आवेदक को अपार क्षति होगी। अतः निवेदन है कि अनावेदकगण संख्या 1 लगातय 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आवेदक को विवादित भूमि से ताकत व लठ के बल पर बेदखल नही करे, आवेदक को उसके हिस्से की भूमि को शांति से काश्त करने देवें किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, भूमि को खुर्द बुर्द नही करें, अनावेदक सं01 विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि को विक्रय व हस्तांतरित नही करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करवाये।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।**

आवेदक का मुख्य कथन है कि विवादग्रस्त भूमि आवेदक के दादा भोलाराम की खरीदशुदा भूमि है जिसको भोलाराम ने अपने पुत्र/आवेदक के पिता के नाम से क्रय की थी। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि स्वअर्जित न होकर पैतृक संपति है जिसमें आवेदक अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहता है तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि को ताफैसला दावा अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 7 को राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने उक्त विवादग्रस्त भूमि के पैत्रिक संपति होने तथा इस पैतृक संपति में उसका हक हिस्सा होने का कथन करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0 पत्र पेश किया है। प्रथम दृष्टया पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नही है जो यह प्रमाणित करता हो कि भोलाराम द्वारा संयुक्त परिवार की आय से उक्त भूमि खरीदी गई हो। आवेदक को यह साबित करना आवश्यक है कि भोलाराम का संयुक्त परिवार था और संयुक्त आय से विक्रय पत्र तस्दीक हुये है। जबकि प्रतिवादी नं0 1 ने दिनांक 13.03.1991 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के भूमि को कय किया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 की स्वअर्जित संपति है। आवेदक द्वारा प्रा0 पत्र में कथन किया गया है कि उक्त भूमि का विभाजन आवेदक व अनावेदक संख्या 01 लगायत 06 के मध्य भोलाराम अपने जीवनकाल में कर गया था, बंटवारा लिखित में किया या मौखिक रूप से किया गया था तथा उक्त संपूर्ण भूमि में किस हिस्से पर कौन काबिज काश्त है उक्त संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज/बंटवारा की प्रति मौजूद नही। इन तमाम तथ्यों व परिस्थिति व पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2075–78 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक सं0 1 की स्वअर्जित संपति है जिसका वह रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में प्रतीत नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु आवेदिका के विरूद्ध तय किये जाते है।

अपूरणीय क्षति :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में नही होने से अपूरणीय क्षति घटित होना प्रतीत नही होती है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है तथा दिनांक 04.07.2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (कार्यवाहक) लक्ष्मणगढ़